DIRECTORATE OF TECHNICAL EDUCATION
VOCATIONAL AND INDUSTRIAL TRAINING
HIMACHAL PRADESH SUNDERNAGAR
Website: www.techeduhp.com, email:dtevithp@hotmail.com, techedu-hp@nic.in
Phone: 01907-266120, 266572, 267671

No. STV(TE)HC(27)CCDC/IT Policy/2017- 84318 - 448 Dated:- 7 /04/2018

To

1. The Director/ Principal,
   All Govt. Engg. & B-Pharmacy Colleges in H.P.
2. The Principal,
   All Govt. Polytechnics in H.P.
3. The Principal
   All Govt. I.T.I.s in H.P.

**Sub: Regarding establishment of Biometric system in the department/ offices.**

Sir,

With reference to the letter no. NICHP/ GR1/Project-122/-1279 dated 22/03/2018 received from Ministry of Electronics & Information Technology, Govt. of India on the subject cited above (copy enclosed). In this regard, it is to inform you that the UIDAI has made it mandatory for Biometric devices used to be the Registered Devices for the purpose of authentification. Therefore, you are requested to do the needful as requested in the enclosed letter. This is for your information and immediate strict compliance please.

Yours faithfully,

Director
Technical Education,
Vocational & Industrial Training,
a/c Himachal Pradesh, Sundernagar.

सं. एनआईसीएचपी/जीआर1/प्रोजेक्ट्स-122/- 1279


**भारत सरकार / Government of India**

इलेक्ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय / Ministry of Electronics & Information Technology

राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र / NATIONAL INFORMATICS CENTRE

हिमाचल प्रदेश राज्य केंद्र / Himachal Pradesh State Centre

दूरभाष: 0177-2624045

ई-मेल: sio-hp@nic.in


दिनांक: 22-मार्च-2018

10458
28/3/2018

प्रेषक:

**राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी**,
एॅन.आई.सी, छटा तल, आर्मसडेल भवन,
हि.प्र. सचिवालय, शिमला - 171002.

प्रेषित:

**निदेशक**
तकनीकी शिक्षा निदेशालय,
व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण हिमाचल प्रदेश,
सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश -175018

**विषय: विभाग/कार्यालय में संचालित बायोमेट्रिक प्रणाली के सम्बन्ध हेतु ।**

महोदय,

आपके विभाग में संचालित बायोमेट्रिक प्रणाली के सम्बन्ध में आपको यह सूचित किया जाता है कि यूआईडीएआई ने प्रमाणीकरण के उदेश्य के लिए बायोमेट्रिक उपकरणों को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए आरडी सेवा अनिवार्य की है | इसलिए, अनिवार्य है कि उपस्थिति के लिए उपयोग किये जाने वाले सभी बोइमेट्रिक उपकरणों को आर डी सेवा के साथ पंजीकृत किया जाए| यूआईडीएआई गैर आरडी सेवा के अनुरूप उपकरणों पर प्रमाणीकरण सेवा शीघ्र बंद कर सकता है | यदि आप पुरानं उपकरणों पर आरडी सेवा स्थापित करने में सक्षम नहीं है तो आप https://gem.gov.in से सीधे आरडी सांगत उपकरण खरीद सकते है | नवीनतम अपडेट के लिए http://basreports.attendance.gov.in/downloads/ पर जाएं अन्यतः आप एनआईसी सेवा डेस्क नंबर 1800-111-555पर भी कॉल कर सकते है |

अत: आपसे अनुरोध है कि आरडी सेवा सभी उपकरणों में जल्दी से स्थापित करें ताकि अटेंडेंस सेवा में बाधा न पड़े |

धन्यवाद।

भवदीय

अचैहल
22-3-18

(अजय सिंह चैहल)
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक एवं
राज्य सूचना-विज्ञान अधिकारी हि.प्र.